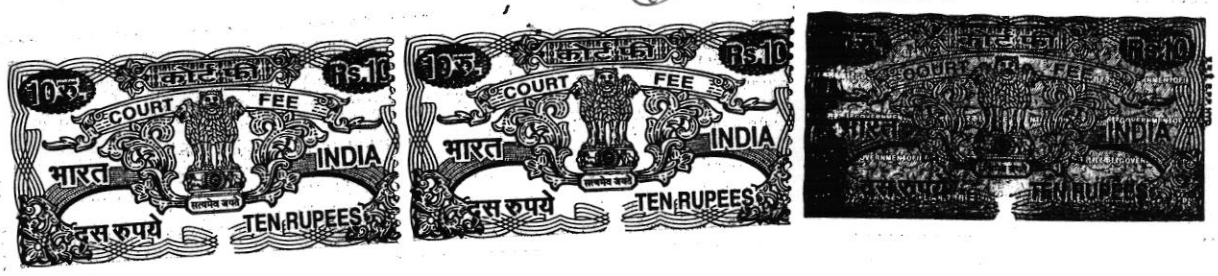

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म0 प्र0

निगरानी प्रकरण कमांक– 7/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3218 सन्–2017

कुन्जा तनय नत्थू अहिरवार निवासी ग्राम बगमऊ
तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म0प्र0 — निगरानीकर्ता

बनाम

मनोज तनय श्रीपत अहिरवार निवासी ग्राम बगमऊ
तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म0प्र0 — गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0 के प्रकरण कमांक– 0037/विविध अन्य/2017 में पारित आदेश दिनांक– 30/06/2017 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू0रा0सं0 की धारा– 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत।

08-9-17

8-9-17

08/09/17

15.09.17

सेवा में श्रीमान्

निगरानीकर्ता सादर निम्न लिखित विनय प्रस्तुत करता है :–

1– यह कि भूमि खसरा कमांक– 1227, 1228, 1229, 1240 रकवा कमशः– 0.089, 1.380, 0.356हे0 कुल एकत्र रकवा 1.975हे0 स्थित मौजा कटहरा तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म0प्र0 की भूमि आवेदक/ निगरानीकर्ता के भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि थी। किन्तु आवेदक/ निगरानीकर्ता का नाम राजस्व अभिलेख से राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि के कारण प्रथक हो गया थो जिसका रिकार्ड सुधार कराने हेतु आवेदक/ निगरानीकर्ता नें नायब तहसीलदार महोदय बछौन के न्यायालय में आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया था जिसका प्रकरण कमांक–155/अ–6–अ/2009–10 के तहत दिनांक–30/12/10 को नायब तहसीलदार महो0 बछौन द्वारा आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया था। किन्तु हल्का पटवारी एवं कम्प्यूटर शाखा के

कुन्जा

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/3218

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-06-2018	आवेदक की ओर से श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 30-06-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई खसरे की सत्यप्रतिपिलिपि के कैफियत के कालम 12 में प्रविष्टि का संशोधन कर मध्यप्रदेश शासन का नाम दर्ज किया जा चुका है । जिसके कारण प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं रह जाता है । चूंकि आवेदक के अनुरोध पर अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया है अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य	